—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 22/2025

उनवान

भागचन्द पुत्र लादू जाति रेगर निवासी ग्राम हनुवतिंया, नसीराबाद

—— प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. किशन पुत्र लादू,
3. सुगनी पुत्री लादू,
4. सायरी पत्नि रतन उर्फ रतना,
5. कालू पुत्र रतन उर्फ रतना,
6. कैलाश पुत्र रतन,
7. महेन्द्र पुत्र रतन,
8. दीपचन्द पुत्र रतन,
9. बबलू पुत्र रतन जाति रेगर निवासी हनुवंतिया नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2 से 9 अनुपस्थित, 1 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अ धिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 97/85 किता 17 रकबा 8.50, 105/390 किता 2 रकबा 0.49, 417/390 किता 7 रकबा 2.30 व खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02, 1976 रकबा 0.35, 313 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की सह खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम भागचन्द पुत्र लादू के स्थान पर भागू व मांगू पुत्र लादू अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम भागचन्द पुत्र लादू है जो आधार कार्ड, शजरा प्रमाध पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड में भी अंकित है। अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम भागचन्द पुत्र लादू अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 97/85 किता 17 रकबा 8.50, 105/390 किता 2 रकबा 0.49, 417/390 किता 7 रकबा 2.30 व खसरा नम्बर 312

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 0.02, 1976 रकबा 0.35, 313 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की सह खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम भागू व मांगू पुत्र लादू अंकित है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम भागचन्द पुत्र लादू है जो आधार कार्ड, शजरा प्रमाध पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड में भी अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी में भी उसका नाम भागचन्द अंकित है। किन्तु आराजी मुतनाजा प्रार्थी की पुश्तैनी है। उक्त आराजी पर विरासत दर्ज करते सूमय ही प्रार्थी का नाम आराजी मुतनाजा पर भागू व मांगू अंकित किया गया है। प्रकरण में भूमि खातेदारी होने के कारण राजहित प्रभावित नही होता है। नियमानुसार दुरूस्ती करना उचित है। भागचन्द को ग्राम में बोलचाल की भाषा में भागू कहा जाता है इस कारण उक्त त्रुटि सद्भाविक है। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 भी प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम हनुवंतिया के खाता संख्या 97/85 किता 17 रकबा 8.50, 105/390 किता 2 रकबा 0.49, 417/390 किता 7 रकबा 2.30 व खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02, 1976 रकबा 0.35, 313 रकबा 0.07 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का नाम भागू व मांगू पुत्र लादू के स्थान पर भागचन्द पुत्र लादू अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested